

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

जी. 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन जयपुर।

क्रमांक : एफ.1 (2)( )स्था/सान्याअवि/19/116164

जयपुर, दिनांक 03-04-2019

**आदेश**

प्रशासनिक कारणों से निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण राज्यहित में उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये गये थे, लेकिन लोकसभा चुनाव, 2019 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इनके नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	आदेश दिनांक	नाम अधिकारी / छात्रावास अधीक्षक	कहाँ से	कहाँ को	कार्यमुक्त होने की तिथि	वि० वि०
1.	09.03.2019	श्री अजीत शर्मा, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	उपनिदेशक सान्याअवि कोटा	सहा. निदेशक, समेकित बाल संरक्षण इकाई, प्रतापगढ़	10.03.2019	
2.	01.03.2019	श्री संजय सावलानी, सहायक निदेशक	सहा. निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, अजमेर	सहा. निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, सिरोही	05.03.2019	
3.	01.03.2019	श्री हरीश कुमार वर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर शहर	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, ब्लॉक, सिरोही	8.03.2019	
4.	01.03.2019	महेश चन्द माली, छात्रावास अधीक्षक	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नारायणपुर, अलवर	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बानसूर, अलवर	05.03.2019	
5.	01.03.2019	संजय वैष्णव, छात्रावास अधीक्षक	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, पाली बी	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टोडाभीम, करौली	06.03.2019	

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 3 (1)(8) निर्वा/2019/2657 दिनांक 19.03.2019 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2019 तक जारी हो चुके थे एवं उनकी पालना में दिनांक 10.03.2019 तक वे कार्यमुक्त भी हो चुके हैं तथा यदि उनके नवीन पदस्थापन स्थान पर उक्त पद रिक्त है, तो ही उन्हें नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कराया जा सकता है। चूँकि उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक तक कार्यमुक्त हो चुके हैं तथा इनके नवीन पदस्थापन स्थान भी रिक्त है, ऐसी स्थिति में निर्वाचन विभाग के पत्र दिनांक 19.03.19 के पैरा संख्या 3 के अनुसार इनको निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर आज ही कार्यभार ग्रहण कर, रिपोर्ट करें। कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(सांवर मल वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक : एफ.1 (2)( )स्था/सान्याअवि/19/116165-116215

जयपुर, दिनांक 03/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक(आई.टी.) मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सहायक, उपनिदेशक(प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
8. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, .....
10. संबंधित अधिकारीगण....., द्वारा उप निदेशक/ सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
11. निजी पत्रावली श्री/श्रीमती.....।
12. आदेश पत्रावली।

  
(जय नारायण मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक  
(सतर्कता एवं प्रशासन)